उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-26/2015-एस0ई0-4-820/दस-2015-90(345)/इस्टे
लखनऊ : दिनांक : 03 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा श्रीमती लता सिंह भदौरिया, से0नि0, समीक्षा अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30-11-2014 को सेवानिवृत्त हो गयी हैं, के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-66203 में जमा धनराशि का महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद से मिलान/वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) की गणना के पश्चात् उनके खाते में कुल जमा धनराशि रू0 2,45,625/- में 90 प्रतिशत रू0 2,21,063/- (रूपये दो लाख इक्कीस हजार तिरसठ मात्र) का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बी0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-26/2015-एस0ई0-4-820(1)/दस-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(लेखा प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) को 03 प्रतियों में।
(4) संबंधित सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।